

SHUBHLAKSHMI MAHILA CO-OP BANK LTD.

225, RNT MARG, Indore

BRANCH – RNT MARG

STAMP

Locker No		Place	इंदौर
Key No		Date	

SAFE DEPOSIT LOCKER AGREEMENT

सुरक्षित जमा लॉकर करार

THIS LOCKER AGREEMENT IS MADE BETWEEN THE SHUBHLAKSHMI MAHILA CO-OP BANK LTD. AND ITS CUSTOMER AT THE PLACE AND ON THE AS STATED IN THE SCHEDULE HERETO (THE "AGREEMENT").

यह लॉकर करार बैंक और उसके "ग्राहक" के बीच, इस करार कि अनुसूची में उल्लेखित स्थान और तारीख को किया गया है। (करार)

बैंक शब्द में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक एवं समनुदेशिनी शामिल है और जब "ग्राहक"

(a) One or more individuals, his/ her/ their heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);

एक या अधिक व्यक्ति है तो "ग्राहक" शब्द में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं विधिक प्रतिनिधि शामिल है।

(b) A proprietorship firm, the proprietor and his/ her heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);

कोई स्वामित्व फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में फर्म के मालिक और उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं विधिक प्रतिनिधि शामिल है।

(c) A partnership firm, such firm and its successor, such firm's partners, the survivor or survivors among them and the heir(s), executor(s), administrator(s), legal representative(s) of each one of them;

कोई भागीदार फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में ऐसी फर्म, उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उत्तरजीवी या उनमें से उत्तरजीवी या प्रत्येक के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि शामिल है।

(d) A Hindu Undivided Family (HUF), its members and their survivor(s), legal heir(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s); and

कोई हिन्दू अविभक्त परिवार (HUF) है, तो "ग्राहक" शब्द में उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल है और

(e) A limited company, its successors.

कोई लिमिटेड कंपनी है तो "ग्राहक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी शामिल है।

(The Bank and the Customer are each referred to as a "Party" and collectively as "Parties")

(बैंक और "ग्राहक" प्रत्येक को "पार्टी" और उन्हें सामूहिक रूप से "पार्टियों" कहा जाएगा)

WHEREAS:

जबकि:

- (a) I/We being desirous to avail of safe deposit locker facility, has approached the Bank for such facility; मैं/हम सुरक्षित जमा लॉकर का लाभ उठाने के इच्छुक "ग्राहक" ने ऐसी सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा से संपर्क किया है;
- (b) The Bank is agreeable to provide to the Customer the safe deposit locker facility subject to certain terms and conditions, and कुछ निबंधनो एवं शर्तों के अध्यक्षीन, "ग्राहक" को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक सहमत है; और
- (c) The Parties have decided to enter into this Agreement to set out the understanding between them in this regard. इस संबंध में अपने आपसी समझोते को परिनिर्धारित करने हेतु "पार्टीयो" ने इस करार पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है।

IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

"पार्टीयो" द्वारा तथा उनके बीच निम्नानुसार करार किया जाता है:-

1. LOCKER LICENCE

लॉकर लाइसेंस

1.1 The Bank as a licensor hereby grants to the Customer as a licensee, the licence to use the safe deposit locker, the details of which are more particularly described in the Schedule to this Agreement (hereinafter referred to as the "Locker"), subject to the terms and conditions as set out under this Agreement.

लाइसेंसदाता के रूप में बैंक एतद्वारा, लाइसेंसधारक के रूप में "ग्राहक" को, इस करार में उल्लेखित निबंधनो एवं शर्तों के अध्यक्षीन, सुरक्षित जमा लॉकर (यहाँ इसके पश्चात लॉकर कहा गया है) का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान करता है, जिसके ब्योरों का सुस्पष्ट वर्णन इस करार कि अनुसूची में किया गया है।

1.2 The Customer hereby accepts the license granted in terms hereof for fee as specified in the Schedule by way of rent (the "Rent").

"ग्राहक" एतद्वारा, यहाँ अनुसूची में किराए ("किराया") के रूप में निर्विष्ट शुल्क के लिए यहाँ उल्लेखित शर्तों पर प्रदत्त लाइसेंस को स्वीकार करता है।

1.3 The license to use the Locker hereby granted is:

लॉकर को उपयोग करने का जो लाइसेंस एतद्वारा प्रदान किया गया है वह :-

(a) Personal and for the Customer's own use and not for the use of any person other than the Customer;

व्यक्तिगत है और "ग्राहक" के स्वयं के उपयोग के लिए है और "ग्राहक" से भिन्न किसी भी व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं;

(b) Non-transferable;

गैर स्थानान्तरणीय है

(c) Only for legitimate purposes such as storing of valuables like jewelry and documents but not for storing any cash or currency;

केवल वैध प्रयोजनों के लिए है, जैसे- आभूषण एवं दस्तावेज रखना और इसका प्रयोग किसी नकदी या मुद्रा रखने के लिए नहीं है;

(d) Not for storing:

इसमें निम्नलिखित रखना मना है:-

(i) Arms, weapons, explosives, drugs and/ or any contraband material; and/ or शस्त्र, हथियार, विस्फोटक, नशीले पदार्थ और/या वर्जित सामग्री; और/या

(ii) Any perishable material/s and/ or radioactive material and/ or any illegal substance; and/or

कोई खराब होने वाले वस्तु और/या रेडियोधर्मी सामग्री और/या कोई अवैध वस्तु; और/या

(iii) Any material which can create any hazard or nuisance to the Bank or to any of its customers.

कोई सामग्री जो बैंक या उसके किसी “ग्राहक” के लिए खतरा है या परेशानी उत्पन्न कर सकती

होगी

1.4 The Customer shall have no right or propriety in the Locker other than the right to access and use the Locker in accordance with the terms and conditions specified under this Agreement.

इस करार के तहत निर्धारित निबंधनो एवं शर्तों के अनुसार लॉकर परिचालित करने एवं उसका उपयोग करने के अधिकार के अलावा “ग्राहक” को इस लॉकर में कोई अधिकार या संपत्ति नहीं होगी |

1.5 The Customer shall be allowed to operate the Locker:

“ग्राहक” को:

(a) On a working day of the Bank during the specific time notified from time to time by the Bank for locker operation and in absence of such notification, during the business hours of the Bank. However, in the event of the Bank is not being able to operate for any reason beyond its control such as flood, riot, curfew, lockout etc., the Bank shall not have any obligation to allow operation of Locker;

बैंक के किसी भी कार्यदिवस पर, लॉकर परिचालन हेतु बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समय के दौरान और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के कारोबार समय के दौरान, लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी | तथापि, यदि बैंक अपने नियंत्रण से परे किसी कारणों जैसे बाढ़, उपद्रव, कर्फ्यू, लॉकआउट आदि से बंद रहता है, तो लॉकर परिचालन की अनुमति देने हेतु बैंक बाध्य नहीं होगा :

(b) After the Customer entering the details of such operation in the Bank's records in the form and manner as stipulated by the Bank; and

बैंक के अभिलेखों में, बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से लॉकर परिचालन के ब्योरों की प्रविष्टि करने के पश्चात लॉकर परिचालित करने की अनुमति होगी; और

(c) After the Customer provides identity proof, if so demanded by the Bank.

बैंक द्वारा माँगा गया पहचान-प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी

2. CUSTOMER'S UNDERTAKINGS AND OBLIGATIONS

“ग्राहक” के वचन एवं बाध्यताएं

2.1 The Customer shall:

“ग्राहक”:

(a) Use the Locker only for the purpose for which it is provided and in accordance with applicable law and regulations.

लॉकर का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए उसे उपलब्ध कराया गया है, और लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप उसका उपयोग करेगा।

(b) Abide by rules and regulations for locker operation as the Bank may specify time to time adopted.

लॉकर परिचालन के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाए गए नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा;

(c) Keep the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for opening of the Locker in a place of safety, not share the same with any other person and not allow the same to fall into hands of any other person, so as to save unauthorized use of the Locker.

लॉकर खोलने के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखेगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं देगा ताकि लॉकर का प्राधिकृत उपयोग सुरक्षित रहे;

- (d) Operate the Locker only using the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank and not otherwise;
लॉकर का परिचालन केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र का प्रयोग करते हुए करेगा; और अन्यथा नहीं ;
- (e) Not to tamper with or make a copy of key or any other identification mechanism provided by the Bank for operation of the Locker;
लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसकी कापी नहीं बनाएगा।
- (f) Inform the Bank forthwith in case of loss of the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker;
लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के खो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करेगा;
- (g) Return forthwith to the Bank in case of finding the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker, earlier having been reported to the Bank as lost;
लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था को तुरंत वापिस करेगा यदि पूर्व में उनके खो जाने की सूचना उसने बैंक को दी हो;
- (h) Pay to the Bank the Rent when due and bear all costs incurred by the Bank for-
देय होने पर बैंक को किराए का भुगतान करेगा और निम्नलिखित के लिए बैंक द्वारा लिए गए सभी खर्चों का वहन करेगा-
- (i) Changing the lock and repairs to the Locker on the Customer's reporting loss of key provided by the Bank; and
बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी के गुम होने की "ग्राहक" की सूचना पर लॉकर के लॉक को बदलना और उसकी मरम्मत करना, तथा
- (ii) Breaking open of the Locker in terms of this Agreement.
इस करार की शर्तों के अनुसार लॉकर को तोड़कर खोलना
- (i) Inform the Bank forthwith in case of the change of address of the Customer providing new address and contact details including phone number, email id, mobile number etc.
"ग्राहक" के पते में परिवर्तन होने पर बैंक को तुरंत सूचित करे तथा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित नया पता और संपर्क विवरण प्रदान करे |

3. BANK'S RIGHTS

बैंक के अधिकार

3.1 The Bank shall have a right to:

बैंक का अधिकार होगा की वह :

- (a) Recover the Rent and any other cost incurred by the Bank in relation to the Locker to the debit of the Customer's account, in the event of the same is not paid by the Customer, when due; and
"ग्राहक" के खाते को डेबिट करते हुए लॉकर के संबंध में बैंक के किराये और किसी भी अन्य लागत की वसूली करे, यदि "ग्राहक" द्वारा देय होने पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तथा
- (b) Refuse access to the Locker-
लॉकर परिचालन करने की अनुमति न देना -

- (i) In case the rent due on the Locker remains unpaid; and
यदि लॉकर पर देय किराया बकाया रहता है, तथा
- (ii) Customer fails to provide proof of identity when demanded by the Bank, at the time of seeking access to the Locker.
लॉकर का उपयोग करते समय बैंक द्वारा मांगे जाने पर “ग्राहक”, पहचान का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहता है।

3.2 Termination of License

लाइसेंस की समाप्ति

3.2.1 The Bank shall have, in the event of the Customer's breach, of or default under this Agreement and/ or the Bank being of the view that The Customer is not co-operating and/or complying with the terms and conditions of this Agreement, a right to terminate this Agreement and the license granted hereunder, after issuing to the Customer a prior written notice of not less than 3 (three) months by registered post or speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Customer is available) ("Termination Notice").

इस करार के संबंध में “ग्राहक” के उल्लंघन या चूक कि स्थिति में और/या बैंक को यह समाधान हो जाए, कि “ग्राहक” सहयोग नहीं कर रहा है और/या इस करार के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो बैंक को करार तथा इसके अंतर्गत लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु इसके पूर्व, “ग्राहक” को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कम से कम 3 (तीन) महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी तथा (i) ईमेल द्वारा भी, जहां “ग्राहक” की ईमेल आईडी उपलब्ध है और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा, जहां “ग्राहक” का मोबाइल फ़ोन नंबर उपलब्ध हो | (समाप्ति सूचना)

3.2.2 Upon receipt of the Termination Notice, the Licensor shall forthwith and before the end of the notice period stipulated under the Termination Notice surrender and vacate the Locker and handover the keys, password or any other identification mechanism and documents provided by the Bank for opening of the Locker, to the Bank.

टर्मिनेशन नोटिस प्राप्त होने पर, लाइसेंसकर्ता तुरंत तथा टर्मिनेशन नोटिस के अंतर्गत निर्धारित नोटिस अवधि के अंत से पहले लॉकर को सरेंडर करेगा और उसे खाली करेगा तथा बैंक द्वारा लॉकर खोलने पर प्रदान कि गई चाबियां, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान व्यवस्था और दस्तावेज बैंक को सौंप देगे |

3.3 Breaking open of the Locker and dealing with its contents

लॉकर को तोड़ना और उसकी सामग्री के संबंध में कार्रवाई करना

3.3.1 The Bank shall have a right to break open the Locker and deal with its contents in accordance with the provisions under this Agreement, the Bank's internal policy (ies) and procedure(s) and the applicable laws and regulations, in case of any one or more of the following events-

इस करार के प्रावधानों, बैंक की आंतरिक नीति(यो) और प्रक्रिया(ओ) और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी एक या अधिक निम्नलिखित घटनाओं के होने पर बैंक के पास लॉकर को तोड़ने और इसकी सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार होगा -

- (a) In the. event of Termination Notice in accordance with Clause 3.2.1 hereof is served to the Customer and the Customer does not surrender and vacate the Locker after the end of the notice period stipulated under the Termination Notice;

यदि ऐसा होता है की उपबंध 3.2.1 के अनुसार “ग्राहक” को टर्मिनेशन नोटिस दिया जाता है और “ग्राहक” टर्मिनेशन नोटिस के अंतर्गत निर्धारित नोटिस अवधि कि समाप्ति के बाद लॉकर को सरेंडर और खाली नहीं करता है;

(b) The Rent remains unpaid for 3 (three) consecutive years; and किराया लगातार 3 (तीन) वर्षों तक नहीं चुकाया जाता है; तथा

(c) The Locker remains inoperative (irrespective of whether Rent is paid or not) for a period of 7 (seven) years or more; and the Customer cannot be located by the Bank.

लॉकर 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है (चाहे किराए का भुगतान किया गया हो या नहीं); और बैंक द्वारा “ग्राहक” का पता नहीं लगाया जा सका है।

3.3.2 Before exercising the right to break open the Locker, the Bank shall send to the Customer a notice (in addition to the Termination Notice under Clause 3.2.1 above) in writing of not less than 3 (three) months by registered post/ speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Customer is available) of the Bank's proposed action of breaking open of the Locker ("Break Open Notice").

लाकर को तोड़ने के अधिकार के प्रयोग करने से पहले, लाकर को तोड़ने कि बैंक कि प्रस्तावित कार्रवाई के विषय में बैंक, “ग्राहक” की कम से कम ३ (तीन) महीने की लिखित सूचना (उपर्युक्त खंड 3.2.1 के तहत समाप्ति नोटिस के अलावा) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजेगा और (i) ईमेल द्वारा, जहा “ग्राहक” की ईमेल आईडी उपलब्ध है तथा (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा, जहा “ग्राहक” का मोबाइल फ़ोन नंबर उपलब्ध हो | (“तोड़ने की सूचना”)|

3.3.3 Notwithstanding, anything contained under this Agreement the Bank shall take all possible efforts to contact the Customer by sending messages on mobile phone of the Customer, sending a personal messenger to the Customer's address, making phone calls on the Customer's land line/ mobile phone etc. before breaking open of the Locker.

इस करार के अंतर्गत कुछ भी होने के बावजूद, लाकर तोड़ने से पहले बैंक, “ग्राहक” के मोबाइल फ़ोन पर संदेश भेजकर, “ग्राहक” के पते पर व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, “ग्राहक” की लैंड लाइन/मोबाइल पर फ़ोन कॉल आदि करके, “ग्राहक” से संपर्क करने का हर संभव प्रयास करेगा।

3.3.4 In case the Termination Notice and the Breaking Open Notice as foresaid sent by the Bank is returned undelivered or the Customer is not found to be traceable despite the Bank having taken reasonable efforts including those stated under Clause 3.3.2 and 3.3.3 above, the bank shall, before breaking open the Locker, issue a public notice of not less than 3 (three) months about the Bank's intention to break open the Locker, in minimum 2 (two) newspapers (one in English and another in local language) in the same location where the Customer resides as evidenced by the Customer's address as stated in the Agreement or as further communicated by the Customer to the Bank.

यदि बैंक द्वारा भेजे गए टर्मिनेशन नोटिस और लाकर तोड़ने के नोटिस को बिना सुपुर्द किये लौटा दिया जाता है या बैंक द्वारा उचित प्रयास किये जाने के बावजूद “ग्राहक” का पता नहीं लग पाता है, जिसमे उपर्युक्त उपबंध 3.3.2 और 3.3.3 के अंतर्गत उक्त पर्याप्त प्रयास शामिल है तो बैंक, लाकर को तोड़ने से पहले, लाकर को तोड़ने के बैंक के इरादे के बारे में, कम से कम 3 (तीन) महीने के अन्दर न्यूनतम 2 (दो) समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) सार्वजनिक सूचना जारी करेगा तथा यह सूचना उसी स्थान पर दी जाएगी जहा “ग्राहक” रहता है, जैसा की संबंधित करार में कहा गया है या “ग्राहक” द्वारा बैंक को बाद में सूचित किया गया है।

3.3.5 The breaking open of Locker would be done in the presence of a committee consisting of 2 (two) officers of the Bank and 2 (two) independent persons acting as witnesses. In the event of

electronically operated Locker (including Smart Vaults), the use of 'Vault Administrator' password for opening of locker shall be assigned to a senior official and complete audit trail of access shall be preserved.

लाकर को तोड़ने की कार्रवाई एक समिति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बैंक के 2 (दो) अधिकारी होंगे तथा साक्षी के रूप में 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लाकर (स्मार्ट वाल्ट सहित) की स्थिति में, लाकर खोलने के लिए 'वाल्ट एडमिनिस्ट्रेटर' पासवर्ड का उपयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्सेस का पूरा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जायेगा।

3.3.6 Upon breaking open of the Locker, having followed the procedure as set out above, the Bank shall prepare inventory of the contents of the Locker and get valuation of the contents done by the Bank's approved Value and the contents of the Locker shall be kept in sealed envelope along with detailed inventory inside a fireproof safe in a tamper-proof way.

ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लाकर को तोड़ने पर, बैंक, लाकर की सामग्री की सूची तैयार करेगा और बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से सामग्री का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और विस्तृत सूची के साथ लाकर की सामग्री को सीलबंद लिफाफे में किसी अग्निरोधक तिजोरी के अंदर टैम्परप्रूफ तरीके से रखा जाएगा।

3.3.7 In addition to the above, the Bank shall also record a video of the break open process together with inventory assessment and safe keep and preserve the same so as to provide evidence in case of any dispute or court case in future.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इन्वेंटरी मूल्यांकन के साथ बैंक, लाकर तोड़ने की प्रक्रिया का एक विडियो भी रिकॉर्ड करेगा और इसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

3.3.8 Furthermore, the Bank shall also ensure that the details of breaking open of locker is Bank's Core Banking System (CBS) or any other computerized system compliant with the Cyber Security Framework issued by RBI from time to time, apart from locker register.

इसके अतिरिक्त; बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा की लाकर का ताला तोड़ने के विवरण का लिखित रूप में उल्लेख, लाकर रजिस्टर के अलावा बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का अनुपालन करने वाले अन्य कंप्यूटरीकृत सिस्टम में किया गया है।

3.3.9 Disposal of the articles of the Locker as recorded in the inventory prepared in the manner as stated in the paragraphs above, shall be done either by sale in public auction and the sale proceeds shall be applied first towards the Customer's dues to the Bank (including outstanding Rent, breaking open charges and any other dues) and balance be refunded to the Customer or held for the disposal at the order of the Customer.

ऊपर उल्लेखित अनुच्छेदों में बताये गए तरीके से तैयार की गई इन्वेंटरी में रिकॉर्ड किये गए अनुसार लाकर के सामान का निपटान या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री करके किया जाएगा तथा बिक्री से प्राप्त राशियों का प्रयोग सबसे पहले "ग्राहक" द्वारा बैंक को देय राशियों (बकाया किराया, लाकर का ताला तोड़ने संबंधी प्रभारों तथा देय राशियों सहित) को चुकाने के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान "ग्राहक" को किया जाएगा या फिर सामान को "ग्राहक" के आदेश पर निपटान के लिए रखा जाएगा।

3.3.10 Before sale of the contents of the Locker by conducting public auction, a notice of not less than 3 (three) months in writing by registered post/ speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Customer is available) shall be issued by the Bank to the Customer

about the intention of the Bank to auction the contents of the locker for recovery of the dues to the Bank. The said notice ("Auction Notice") shall contain the date, time and place of auction and a copy of the inventory of the contents of the Locker at the last known address made in terms hereof.

सार्वजनिक नीलामी करके लाकर के सामान की बिक्री करने से पहले बैंक द्वारा "ग्राहक" को, बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए लाकर के सामान कि नीलामी करने के बैंक के इरादे के संबंध पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित नोटिस, जो तीन माह से पुराना न हो, (तथा (i) यदि "ग्राहक" की ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ईमेल द्वारा; तथा (ii) यदि "ग्राहक" का मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो एसएमएस तथा/व्हाट्सएप द्वारा भी) जारी किया जाएगा। उक्त नोटिस (नीलामी नोटिस) में नीलामी कि तारीख, समय तथा स्थान का उल्लेख होगा और यहाँ उल्लिखितानुसार बनाई गई लाकर के सामान की इन्वेंटरी की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

4. THE BANK'S DISCHARGE FROM OBLIGATIONS AND LIABILITY

उत्तरदायित्वो तथा देयताओं से बैंक का उन्मोचन

- 4.1 The Bank shall not be liable for in any case for deterioration or damage to the contents of the Locker whether caused by rain, fire, flood, earthquake, lighting, civil disturbance or commotion, riot or war or in the event of any terrorist attack or by any other similar cause(s).
किसी भी स्थिति में लाकर के सामान के क्षय या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह बारिश, आग, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक अशांति या उपद्रव, दंगे या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या अन्य समान कारणों से हुई हो।
- 4.2 The Bank shall not be liable for any damage/ loss of contents of the Locker arising from any act that is attributable to the fault or negligence of the Customer whatsoever.
"ग्राहक" की गलती या लापरवाही के फलस्वरूप किसी भी कृत्य से लाकर के सामान की किसी भी क्षति/हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4.3 The Bank shall be discharged of its obligations and shall not be liable for any cost, loss or liability incurred by the Customer (including for any damage and/or loss of contents of Locker) in the event the Locker is broken open and its contents dealt with in keeping with the provisions of this Agreement.
लाकर को तोड़कर खोलने या लाकर की सामग्री का इस करार के प्रावधानों के अनुरूप निपटान करने में "ग्राहक" की ओर से हुए किसी व्यय, घाटे या देयता (लाकर की सामग्री के किसी भी नुकसान और/या घाटे सहित) के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और वह अपने दायित्वों से उन्मोचित रहेगा।
- 4.4 Regardless of the above, the Bank's liability on the Locker shall always be subject to limitation under the applicable law and regulation.
उपर्युक्त के बावजूद, लाकर के संबंध में बैंक कि जवाबदेही हमेशा लागू कानून और विनियमों के तहत परिसीमा के अधीन होगी।
- 4.5 The contents of the Locker shall in no manner be considered insured by the Bank, and the Bank shall not have any liability to insure the contents of the locker against any risk whatsoever.
लाकर में रखी सामग्री को बैंक द्वारा किसी भी तरह से बीमाकृत नहीं माना जाएगा और किसी भी जोखिम के लिए लाकर में रखी सामग्री की बीमा के संबंध में बैंक की देयता नहीं होगी।

5 JOINT LICENSES

संयुक्त लाइसेंस

Access to the said locker shall during the joint lives of the Hirers of the survivors of them be had by the Hirers or the survivors of them jointly, any one or more of the Hirers until the Bank receives a notice to the contrary from either/any one of the Hirers in which event access shall be had by the Hirers of the survivors of them jointly. On the death of all the hirers save one all the rights of the Hirers here under shall vest in such survivor and upon his death vest in his legal representative.

किरायेदारों या उनके उत्तरजीवियों के संयुक्त जीवनकाल में उक्त लाकर को खोलने का अधिकार किरायेदारों को या उनके उत्तरजीवियों को संयुक्त रूप से / किरायेदारों में से किसी एक या अधिक को रहेगा, किरायेदारों में से किसी भी एक या अधिक को रहेगा, किरायेदारों में से एक या अन्य किरायेदारों की ओर से बैंक को विपरीत आशय का सूचनापत्र मिलने पर किरायेदारों या उनके उत्तरजीवियों को संयुक्त रूप से लाकर खोलने का अधिकार रहेगा, एक को छोड़कर सभी किरायेदारों की मृत्यु होने पर इस अनुबंध के अंतर्गत किरायेदारों को समस्त अधिकार ऐसे उत्तरजीवी किरायेदार में निहित होंगे एवं उनकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों में निहित होंगे।

6. LAW AND JURISDICTION

कानून और अधिकार क्षेत्र

This Agreement is made subject to Indian law and all matters arising out of it shall be subject to the Jurisdiction of courts at the place where the Bank is situated or in the jurisdiction of which the Bank falls.

यह करार भारतीय कानून के अधीन बनाया गया है और इससे संबंधित सभी मामले उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे जहां बैंक स्थित है या जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बैंक आता है।

7. Other Terms and Conditions

अन्य नियम और शर्तें

7.1 The licensee is entitled to operate the locker as per decision by The Bank. Bank additional service charges will be applicable.

अनुज्ञप्तिधारी बैंक के निर्णय के अनुसार लॉकर संचालित करने का हकदार है। बैंक के अतिरिक्त सेवा शुल्क लागू होंगे।

7.2 A penal charges is payable on the overdue amount of rent for the overdue period.

अतिदेय अवधि के किराए की अतिदेय राशि पर दंडात्मक शुल्क देय है।

7.3 The licensee will be permitted to be in the Vault Room only for a reasonable time.

अनुज्ञप्तिधारी को तिजोरी कक्ष में उचित समय के लिए ही रहने की अनुमति होगी।

7.4 The Bank reserve right not to allow operation of the locker by lessees in case Bank received Court order or order by any competent Authority to that effect.

यदि बैंक को कोर्ट का आदेश या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश प्राप्त होता है तो बैंक लॉकर के संचालन की अनुमति नहीं देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.5 Open Saving Locker Account and give mandate to the Branch for recovery of Rent.

बचत लॉकर खाता खोलें और किराए की वसूली के लिए शाखा को मंडेट दें।

7.6 In case of surrendered of locker, no GST will be refunded as well as any taxes collected.

लॉकर सरेंडर करने के मामले में, कोई जीएसटी वापस नहीं किया जावेगा और साथ ही कोई कर भी वसूल किया जाएगा।




7.7 The hirer(s) agree(s) that the bank is entitled as its discretion to increase the rental at any time without notice and consent of the Hirer(s).

किराएदार इस बात से सहमत हैं कि बैंक अपने विवेकानुसार किराएदार की सूचना और सहमति के बिना किसी भी समय किराया बढ़ाने का हकदार है।

7.7 The Bank reserves the right to repeal, alter, amend or add to these terms and conditions at any time as and when the Bank may deem fit without any prior intimation.

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इन नियमों और शर्तों को निरस्त करने, बदलने, संशोधित करने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

SCHEDULE

Place (स्थान) :-		Date (दिनांक) :-
1. PARTIED TO THIS AGREEMENT		1. इस करार के पक्षकार
1(A)	THE BANK बैंक	SHUBHLAKSHMI MAHILA Co-Op. Bank Ltd. HO, 225, RNT MARG Indore M.P. and operating in these presents through its branch as stated below. शुभलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्यालय 225 आरणटी मार्ग इंदौर और नीचे बताई गई अपनी शाखा के माध्यम से इन प्रस्तुतियों में काम कर रहा है।
	BRANCH (शाखा)	RNT MARG
1(B)	THE CUSTOMER “ग्राहक”	NAME AND ADDRESS :
	 <p>PHOTO</p>	1. CIF NO “ग्राहक” सं:- Name : - (नाम) Address :- (पता) Email Id (ईमेल) :- Mobile/Tel No : - (मोबाइल नंबर) PAN No (पैन नंबर) : - Aadhar No (आधारनंबर) -
	 <p>PHOTO</p>	2. CIF NO “ग्राहक” सं:- Name : - (नाम) Address :- (पता) Email Id (ईमेल) :- Mobile/Tel No : - (मोबाइल नंबर) PAN No (पैन नंबर) : - Aadhar No (आधारनंबर) -
	 <p>PHOTO</p>	3. CIF NO “ग्राहक” सं:- Name : - (नाम) Address :- (पता) Email Id (ईमेल) :- Mobile/Tel No : - (मोबाइल नंबर) PAN No (पैन नंबर) : -

		Aadhar No (आधारनंबर) -
2	DESCRIPTION OF LOCKER लॉकर का विवरण	LOCKER No : KEY No :
3	LOCKER RENT PER YEAR लॉकर का किराया प्रति वर्ष	Rs. (in figures) : रु. (अंकों में) : Rs. (in words) : रु. (शब्दों में) :
		(As may be revised from time to time) (Payable in advance) (समय-समय पर यथा संशोधित) (अग्रिम के रूप में देय)
4	PERIOD OF LICENCE लाइसेंस की अवधि	1 (One) year from the date of this Agreement which at the end of such one year shall stand automatically extended for a further period of 1 (one) year every time unless terminated in terms hereof. इस करार की तारीख से 1 (एक) वर्ष, जिसे ऐसे एक वर्ष की समाप्ति पर हर बार स्वतः और 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि यहाँ उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस को समाप्त न कर दिया गया हो।
5	OPERATING MANDATE परिचालन अधिदेश	
6	ANY OTHER TERM कोई अन्य शर्तें	

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement.

जिनके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस करार पर हस्ताक्षर को निष्पादित किया है।

For the Customer ("ग्राहक" के लिए)			
	1	2	3
Signature हस्ताक्षर			
Name नाम
Designation/Capacity* पदनाम/क्षमता*
(* in case where the Customer is non individual/not signing in person) (* जहाँ "ग्राहक" ,एकल-व्यक्ति न हो है/ जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर न करे)			

For SHUBHLAKSHMI MAHILA CO OP BANK LTD.	
Signature :	
Name of the signatory:	
Designation	:

वर्तमान में लॉकर रखने वाले ग्राहकों से कवरिंग लेटर प्राप्त किया जाना चाहिए

स्थान :

तारीख :

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

शुभलक्ष्मी महिला को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

शाखा आरएनटी मार्ग

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय : सुरक्षित जमा लॉकर संख्या :

1. मैं/हमको मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित करार ("पुराना करार) के संबंध में उपयुक्त सुविधा प्रदान की गयी हैं.
2. इस सम्बन्ध में, मैं/हम इसके साथ पुराने करार के स्थान पर तथा/ या प्रतिस्थापन में मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित (नया करार) नया सुरक्षित जमा लाकर करार (जैसा कि बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा संशोधित अनुदेश शीर्षक से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या RBI/2021-2022/86 DOR.IEG.REC/40/09.07.005/2021-22 दिनांक 18 अगस्त, 2021 जो समय-समय पर संशोधित, आशोधित, प्रतिस्थापित तथा/या जोड़ा जा सकता है, के तहत अपेक्षित है) संलग्न कर आपको प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
3. मैं/हम इस संबंध में स्पष्ट रूप से समझते हैं, स्वीकार करते हैं/करती हूँ तथा सहमत हैं कि नए करार में वर्णित निबंधन एवं अब से उपयुक्त सुविधा पर लागू होंगी और नया करार, उसके निष्पादन की दिनांक को तथा से पूर्ण रूप से पुराने करार का स्थान लेंगे।

भवदीय,

	1	2	3
हस्ताक्षर			
नाम
पदनाम/हैसियत*

(* in case where the Customer is non individual/not signing in person)

(* जहां "ग्राहक" ,एकल-व्यक्ति न हो है/ जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर न करे)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार नया करार।